

D/809

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक...../चार-9-41/20

जबलपुर, दिनांक 10/02/2023

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 288/गोप./2022 जबलपुर दिनांक 26 मार्च, 2022 द्वारा श्री उमेश कुमार गुप्ता, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी(सेवानिवृत्त) को प्रधान जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान) (Super Time Scale) रूपये 70290-1540-76450/- में पुनरीक्षित दिनांक से नियुक्ति होने तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2109/2018 /21-ब(एक) दिनांक 28.04.2018 एवं क्र. 1464/21-ब(एक) दिनांक 25.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

सुपर समय वेतनमान रूपये 70290-1540-76450/- में पूर्व में नियुक्ति का दिनांक	सुपर समय वेतनमान रूपये 70290-1540-76450/- में नियुक्ति का दिनांक/ पुनरीक्षित दिनांक	नियुक्ति दिनांक को चयनग्रेड वेतनामन 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/-में प्राप्त वेतन व दिनांक तथा सुपर समय वेतनमान में आगामी वे0वृ0 का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
20.12.2018	19.06.2018	65830/- 16.06.2018 19.06.2019 19.06.2020 19.06.2021 (Retired on 31.07.2021)	70290/- 71830/- 73370/- 74910/-	19.06.2018 01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

10/2/2023

(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक 10/02/2023

D/810

पृष्ठांकन क्रमांक...../चार-9-41/20
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर/बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा)/सहायक(पेंशन)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री उमेश कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम, आई-8, वेदान्त, बाग सेवनिया, संत आशाराम नगर, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

10/2/2023

रजिस्ट्रार(एम)